भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3406

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

सीएसआर को सुकर बनाने के लिए योजनाएं

3406. श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को सुकर बनाने के लिए कोई योजनाएं हैं;
(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं की मुख्य विशेषताएं और वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) क्या पिछड़े और आकांक्षी जिलों में सीएसआर के लिए कोई विशिष्ट योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछड़े और आकांक्षी जिलों में सीएसआर के अंतर्गत जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): पिछड़े और आकांक्षी जिलों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को सुकर बनाने के लिए कोई योजना नहीं है और इसके अतिरिक्त सीएसआर के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए विधिक ढांचा उपलब्ध कराया गया है। विगत तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2020-21 से 2022-23 के लिए आकांक्षी जिलों में सीएसआर के तहत खर्च की गई राशि का विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

****

अनुलग्नक

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3406 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए आकांक्षी जिलों में सीएसआर व्यय			
वित्तीय वर्ष	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
राशि करोड़ रुपये में	**651.43**	**1046.43**	**1402.89**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

****